



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/507  
प्रति,

दिनांक : 23-02-19

प्राचार्य,  
बी.के. एस.एन. शा. महाविद्यालय, शाजापुर  
जिला-शाजापुर।


विषय :- महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से एल.एल.बी पाठ्यक्रम बंद किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/निरंक,दिनांक 20.02.2019

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा शासन का पत्र क्रमांक/273/94,आउशि/बजट,18,भोपाल, दिनांक 18.02.2019 के आदेशानुसार सत्र 2018-19 से शासकीय विधि महाविद्यालय,शाजापुर के प्रारंभ होने से बी.के.एस. एन.शा. महाविद्यालय,शाजापुर में संचालित एल.एल.बी. पाठ्यक्रम नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय,शाजापुर में स्थानान्तरित होने से सत्र 2018-19 से विधि पाठ्यक्रम बी.के.एस.एन.शा.महाविद्यालय,शाजापुर में बंद किये जाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसे सक्षम स्वीकृति उपरांत मान्य किया जा कर आपके महाविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम बंद किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव  
विक्रम विश्वविद्यालय  
उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/508

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, बी.के.एस.एन.शा. (अग्रणी) महाविद्यालय, शाजापुर।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
की ओर सूचनार्थ।

अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)